बिहार सरकार
वित्त विभाग
निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार सरकार के बालु परिवहन चालान बुक तथा पत्थर परिवहन चालान बुक के मुदण एवं आपूर्ति करने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मुद्रकों से कागज, आवरण एवं निर्माण से संबंधित नमूनों के साथ प्रति सेट बही का समेकित न्यूनतम दर (टेक्स्ट पृष्ठों एवं कवर पेज सहित) सीलबंद लिफाफे में निविदाएँ दिनांक–04.07.2017 के पूर्वाह्न 11.30 बजे तक उप सचिव, प्रशाखा–05, वित्त विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय कक्ष में निविदा की शर्तो के अनुरूप आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन 12:00 बजे दोपहर में खोली जायेगी। इसमें निविदा दाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। यह निविदा दो लिफाफा प्रणाली अंतर्गत होगी एवं तकनीकी निविदा में असफल निविदादाता की वित्तीय निविदा नहीं खाली जायेगी। इस निविदा के नोडल पदाधिकारी श्री सुदेश कुमार लाल, उप सचिव, वित्त विभाग हैं।

1.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	04.07.2017 (11.30 बजे पूर्वा0 तक)
2	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	04.07.2017 (12.00 बजे दौपहर)
3	अर्नेस्ट मनी	60,000/– (साठ हजार रूपये)
4.	नोडल अधिकारी	श्री सुदेश कुमार लाल, उप सचिव, वित्त विभाग मो0 न0–9334456131

निविदा प्रपत्र वित्त विभाग के Website: finance.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा उसे डाउनलोड किया जा सकता है।

12/06/17

(शिव शंकर मिश्र)
विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

निविदा प्रपत्र

बिहार सरकार के बालु परिवहन चालान बुक तथा पत्थर परिवहन चालान बुक के मुदण एवं आपूर्ति करने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मुद्रकों से कागज, आवरण एवं निर्माण से संबंधित नमूनों के साथ प्रति सेट बही का समेकित न्यूनतम दर (टेक्स्ट पृष्ठों एवं कवर पेज सहित) सीलबंद लिफाफे में निविदाएँ दिनांक–04.07.2017 के पूर्वाह्न 11.30 बजे तक उप सचिव, प्रशाखा–05, वित्त विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय कक्ष में निविदा की शर्तो के अनुरूप आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन 12:00 बजे दोपहर में खोली जायेगी। इसमें निविदा दाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। यह निविदा दो लिफाफा प्रणाली अंतर्गत होगी एवं तकनीकी निविदा में असफल निविदादाता की वित्तीय निविदा नहीं खाली जायेगी। इस निविदा के नोडल पदाधिकारी श्री सुदेश कुमार लाल, उप सचिव, वित्त विभाग हैं।

A. कार्य का विवरण–

01. आवश्ययकता के आधार पर बालु परिवहन चालान बुक की 70,000 हजार प्रतियाँ तथा पत्थर परिवहन चालान बुक की 17,000 हजार प्रतियाँ छपायी जानी है। इसमें टेक्सट पृष्ठों की संख्या 100 होगी। मुद्रण सामग्री का Sample निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है तथा Sample बही नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर देखा जा सकता है।
02. भारतीय बैंक संघ द्वारा अनुमोदित चुम्बकीय स्याही पहचान (MICR) कोड पेपर पर मुद्रित होगा।
03. टेक्सट पृष्ठों पर विशिष्ट बार कोड होगा।
04. टेक्सट पृष्ठों पर विशिष्ट त्वरित प्रति क्रिया (QR CODE) होगा।
05. टेक्सट पृष्ठों का फ्युजिटीव इंक पृष्ठभूमि होगा।
06. टेक्सट पृष्ठों में अदृश्य इंक चिन्ह होगा।
07. टेक्सट पृष्ठों में भ्वायड पैंटोग्राफ होगा।
08. टेक्सट पृष्ठों में वाटर मार्क होगा।
09. परिवहन चालान बुक के टेक्सट पृष्ठों का मुद्रण 60 G.S.M. S.S मैपलिथो कागज पर होगा।
10. परिवहन चालान बुक का साईज 21.5 cm x 32 cm होगा।
11. प्रत्येक परिवहन चालान बुक का बाइन्डिंग कवर सहित साईड स्टीच होगा।

12. सभी टेक्स्ट पृष्ठ मशीन नम्बरड (प्रति पृष्ट Triplicate नम्बर) होंगे और इन नम्बरों को विभाग द्वारा मुद्रक को उपलब्ध कराया जायेगा।

B. शर्तें

01. मुद्रण का कार्य अति गोपनीय ढंग से किया जाना होगा। किसी भी हालात में मुद्रण सामग्री से संबंधित तथ्य किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं। गोपनीयता भंग होने पर चयनित निविदादाता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
02. सभी बालु परिवहन चालान बुक तथा पत्थर परिवहन चालान बुक का मुद्रण–आदेश निर्गत होने की तिथि से 5 दिनों के अन्दर गोपनीय रूप से मुद्रित कर उपलब्ध कराने होंगे।
03. मुद्रित सामग्री को प्रभारी अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना में पहुँचाने की भी जिम्मेवारी निविदा दाता की होगी। इस हेतु कोई अग्रिम राशि एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
04. परिवहन चालान बुक के प्रारूप तैयार करने में किये गये व्यय हेतु किसी प्रकार का दावा निविदा दाता द्वारा नहीं किया जायेगा।
05. निर्धारित समय–सीमा के अन्दर (मुद्रित सामग्री विहित गंतव्य पर) नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में भुगतेय राशि में से 50 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकेगी तथा वैधानिक कार्रवाई अलग से की जायेगी।
06. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार वित्त विभाग को सुरक्षित रहेगा।
07. फर्म/निविदा दाता को उद्योग विभाग एवं वाणिज्यकर विभाग में निबंधित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
08. फर्म को Indian Bank Association (I.B.A) से, सिक्युरिटी प्रिंटिंग हेतु निबंधित होना अनिवार्य होगा।
09. फर्म को (ISO 9001:2008 क्वालिटी सर्टिफिकेशन युक्त होना चाहिए।
10. फर्म पिछले तीन वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 75,00,000/– (पचहत्तर लाख) होना चाहिये तथा निविदा के साथ पिछले 3 साल का Audited Blance Sheet संलग्न करना होगा।
11. निविदा दाता को मुद्रण का कम से कम तीन वर्षों का कार्य का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिये।
12. निविदा के साथ उक्त वांछित, कार्य अनुभव एवं मुद्रित सामग्री का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा।

138

13. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप 60,000/– (साठ हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट बिहार सरकार (Government of Bihar) के नाम का संलग्न करना अनिवार्य होगा। असफल निविदा दाता को अर्नेस्ट मनी की राशि निविदा के निस्तार के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

14. 21.5 cm x 32 cm साईज में कागज का नमूना संलग्न करना होगा।

C. मुद्रण दरः–

उपर्युक्त अंकित "कार्य का विवरण" के क्रमांक 1 से 6 तक में निहित आवश्यकता अनुरूप मुद्रण दर प्रति बालू परिवहन चालान बुक का समेकित मुद्रण दर, कागज, स्टिचिंग/बाईडिंग, परिवहन एवं डेलीवरी, सभी देय कर आदि समस्त व्यय सहित सम्मिलित होंगे। उसी प्रकार प्रति पत्थर चालान बुक का समेकित मुद्रण दर होगा। मुद्रण दर दो वर्षों हेतु मान्य होगा, जिस पर Repeat Order दिया जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित "कार्य विवरण" (A) अन्तर्गत क्रमांक 1 सामान्य प्रकृति की तथा 2 से 12 तकनिकी प्रकृति की है। साथ ही "शर्तों" (B) के अधीन क्रमांक 1 से 6 सामान्य प्रकृति की तथा 7 से 14 तकनिकी प्रकृति एवं "मुद्रण दर" (C) वित्तीय प्रकृति की है। तकनिकी एवं वित्तीय प्रकृति से संबंधित निविदा अलग–अलग सीलबन्द लिफाफे में देना होगा। Technical Bid (कार्य विवरण एवं शर्तें) के खोले जाने के उपरान्त ही सफल निविदा दाता का Financial Bid (मुद्रण दर) खोला जायेगा।

(शिव शंकर मिश्र)
विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(12.1)

खान एवं भूतत्त्व विभाग

बिहार सरकार

खनिज अभिवाहन पास/परिवहन चालान

[देखें नियम 4 (2)]

(बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003)

वाहन/क्रेता की प्रति।

चेतावनी

1. बिना चालान के खनिज का परिवहन अवैध है।
2. खनिज का ओवरलोडिंग अवैध है।
3. बिना ढके खनिज का परिवहन अवैध है।

1125401

संख्या

बुक सं०- S/• 004180

1. वर्ष /• क्रमांक-
2. खनिज का नाम-
3. जिला का नाम :-
4. खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति क्षेत्र का विवरण (संख्या सहित)-
5. खनन पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पूरा पता-
6. खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति की अवधि एवं समाप्त होने की तिथि-
7. खनिज की कोटि तथा विक्रय का प्रयोजन-
8. क्रेता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम एवं पता-
9. खनिज प्रेषण की तिथि- समय-
10. वाहन का प्रकार एवं संख्या-
11. खनिज का गंतव्य स्थान-
12. खनिज की मात्रा (घन फीट में)-
13. खनिज का भार (टन में)-
14. पट्टेधारी द्वारा क्रेता से ली गई राशि-
15. वाहन मालिक का नाम एवं पता-

चालान/पास निर्गत करने वाले ...म पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर तारीख सहित	वाहन चालक का नाम एवं हस्ताक्षर (तारीख सहित)	खनन पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी प्रबंधक का हस्ताक्षर